

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 38/24

तारीख रज्जू- 30/09/24

1. शेरसिंह पुत्र पंखीलाल जाति गीना निवासी ग्राम मेडी उम्र 35 साल निवासी मैडी तहसील वजीरपुर।
-अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार वजीरपुर।



-रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक 06/11/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा गिसल संख्या 130/24 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मैडी के आराजी ख0नं0 1536 रकबा 0.15 है0 किरग गै0गु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से वेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय उनवानी रूयेदार गिसल होने से काबिले निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका ही नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दिनांक 20.08.2024 को गिसल दर्ज कर 28.08.2024 का नोटिस जारी किया और उसी दिन फैसला जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सबूत पेश करने का अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की हत्या की है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय से बार-बार कहता रहा कि पटवारी मौके पर नहीं गये है। भयंकर पानी बरसात का बरस रहा है और खेतों में पानी भरा हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा बिना नाम तोल के तहसील में बैठकर गलत रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जो धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है। उसमें तारीख अंकित नहीं है। इसी बिनाह पर कथित नोटिस शून्य है तथा नोटिस प्रोपर न होने के अभाव में निर्णय अरावैधानिक है और निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय में रकबा व पटवारी रिपोर्ट में रकबा भिन्न होने के कारण निर्णय निरस्त योग्य है। वर्तमान में अपील में वर्णित भूमि पर प्रार्थी अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है, भूमि खाली है, सा  अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय नि  रमाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमिता आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये

2/2


जाणे के समय ही अपीलार्थीन निर्णय पारित किया है, जिसमें विरही प्रकर की अनियमितता व अवैधता नहीं है तथा वर्तमान मौक रिपोर्ट के अनुसार समस्त वाद आरक्षीयात पर अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में भी जोत की हुई है, साथ ही परिमंवर सरकार ने अपील अपीलार्थी को धारित करने हेतु विवेचन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उस पर मया किया गया तथा पक्षों की अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पहचानी हलका द्वारा अपीलार्थी के विरही अपीलार्थी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण बल रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सुन हेतु भास 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पहचानी हलका ने अपनी रिपोर्ट पश्चात्पूर्वी अतिक्रमण होना एवं बयान में अपीलार्थी द्वारा सन्वत् 2080 में अतिक्रमण करना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार बजीरपुर ने अपने पत्रांक शेडर/2024/132 दिनांक 25.10.2024 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त वाद आरक्षीयात पर वर्तमान में मौके पर जोत है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनास अनिमत में अपील अरवीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अरवीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रामकिशोर मीना)
अति० जिला कलक्टर
मंगपुर सिटी